e Annadata
Kisan Hai Annadata Sabka Bhagya Vidhata
Welfare & Development India Limited

पता :- पीरनगर, गाजीपुर (उ०प्र०)

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्र के किसानों के सर्वांगीण कल्याण व विकास के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस (23 दिसम्बर 2020) से उनके हित में कृत-संकल्पित है। ई-अन्नदाता वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एवं ई-अन्नदाता फाउंडेशन द्वारा अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान, ई-अन्नदाता जैविक, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स एवं स्मार्ट फार्मिंग संवर्धन अभियान, अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता गौरवान्वित व मिलेट्स अनुभूति अभियान-2047, ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान, ई-अन्नदाता मंडी (फसल संवर्धन) कार्यक्रम, ई-अन्नदाता सम्मान मेला, बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट सर्विस, इंट्रीग्रेटेड कॉल सेंटर एण्ड फार्मर ग्रीवेंस, तथा ई-अन्नदाता कैंटीन आदि के माध्यम से सस्तें दामों पर उनके दैनिक उपयोग के सामानों के साथ बीज, खाद, मशीनरी की व्यवस्था करना और उस पर 50% तक की सब्सिडी दिलाया जाता है जिससे आने वाले समय में किसान खुद/ स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगें अर्थात् निकट भविष्य में किसानों को गौरव की अनुभूति कराने के लिए ई-अन्नदाता द्वारा प्रदत्त सभी सरकारी व गैर सरकारी योजना का लाभ प्रत्येक किसान को आसानी से उपलब्ध कराना ई-अन्नदाता का मुख्य कार्य है।

ई-अन्नदाता के उद्देश्य

ई-अन्नदाता का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार की कैंटीन व्यवस्था सेना के जवानों व सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, उसी प्रकार की कैंटीन व्यवस्था किसानों को भी उपलब्ध करायी जा सके, जिससे उनके जरूरत का सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सके और साथ ही वर्ष 2047 तक किसानों को किसान होने का गौरव प्राप्त हो सके।

ई-अन्नदाता द्वारा संचालित कार्यक्रम व अभियान

1. ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान
2. ई-अन्नदाता जैविक, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स एवं स्मार्ट फार्मिंग संवर्धन अभियान
3. अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्मूलन अभियान
4. ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान
5. ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान
6. ई-अन्नदाता गौरवान्वित अनुभूति अभियान 2047
7. उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम)
8. ई-अन्नदाता मण्डी (फसल संवर्धन) कार्यक्रम
9. ई-अन्नदाता सम्मान मेला
10. बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट सर्विस
11. इंट्रीग्रेटेड कॉल सेंटर एण्ड फार्मर ग्रीवेंस
12. ई-अन्नदाता कैंटीन
13. मौसम पूर्वानुमान
14. उद्यमिनी (उद्यमी नारी-सशक्त नारी)
15. सरकारी नौकरी वाला डॉट काम
16. घर का अधिकार (राईट-टू-होम)

1. ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान

देश के सभी पात्र किसानों को ई-अन्नदाता कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करना, तथा अधिक से अधिक ई-अन्नदाता कार्ड बनवाना साथ ही ई-अन्नदाता कार्ड से मिलने वाले लाभ जैसे- कैंटीन की सुविधा दिलवाना, सभी सामानों पर 50% तक की छुट (सब्सिडी), दुर्घटना बीमा तथा किसानों के बच्चों के लिए देश के अच्छे व बड़े विद्यालय में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराना है।

2. ई-अन्नदाता जैविक, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स एवं स्मार्ट फार्मिंग संवर्धन

किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में विस्तार से समझाना, जैविक खेती में उपयोग होने वाले जैविक उर्वरक के आसानी से उपलब्धता के बारे में समझाना तथा प्राकृतिक खेती के तौर-तरीके एवं रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान/हानि से अवगत कराना ही इस अभियान का उद्देश्य है।

3. अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्मूलन अभियान

किसानों पर आश्रित बेरोजगारों को उद्यम स्थापित कराना तथा आवश्यक प्रशिक्षण, लोन (ऋण), सब्सिडी, सरकारी एवं गैर-सरकारी सभी प्रकार के योजनाओं द्वारा लाभ दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करना है।

4. ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान

देश के किसानों को अब गरीबी, पिछड़ापन व असहाय जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ेगा। ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत ई-अन्नदाता कार्ड के माध्यम से किसान भाइयों को कम कीमत पर अच्छे व ब्रांडेड सामान उपलब्ध कराने के लिए जागरूक करते हैं तथा किसानों के उत्पाद को समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बिकवाना, जैविक खेती के माध्यम से किसानों को जैविक उत्पाद की पैदावार करने के लिए प्रेरित करना और उसे अधिकतम एवं उचित मूल्य पर बिकवाना, स्मार्ट फार्मिंग का प्रशिक्षण करा कर नए तरीके से नए फसल की खेती करना, किसान के बेरोजगार आश्रितों को उद्यम स्थापित कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, ऋण तथा सब्सिडी उपलब्ध करा कर उन्हें स्वावलंबी बनाना, ई-अन्नदाता द्वारा स्थापित मंडी में किसानों का सामान बेचने के लिए प्रेरित करना आदि कार्य से किसानों को सीधे तौर पर फायदा दिलवाना जिससे उनकी आय में वृद्धि तथा उनकी गरीबी दूर होगी।

5. ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान

देश के बड़े व अत्याधुनिक, विश्वसनीय व जाने-माने हॉस्पिटल के अनुभवी डाक्टरों द्वारा किसानों व उनके परिवारजनों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा की सुविधाएँ उनके नजदीकी केन्द्रों (सर्विस ब्रांच) के माध्यम से किसानों को दिलाने में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना हैं। दिल्ली, गुडगाँव, चेन्नई, मुम्बई, बेंगलुरु आदि जैसे बड़े शहरों के विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ डाक्टरों के टीम द्वारा प्रत्येक गरीब, जरूरतमंद व असहाय किसान परिवारों को चिकित्सीय परामर्श सुविधा लागत मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराना ई-अन्नदाता का मुख्य उद्देश्य है।

6. ई-अन्नदाता गौरवान्वित अनुभूति अभियान 2047

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की दो-तिहाई से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है। कृषि मात्र मानव जीवन का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व का मूलाधार है। सभी औद्योगिक क्षेत्र, पशु पालन, पर्यावरण आदि कृषि पर ही निर्भर है। खेत में काम करने वाला किसान मात्र अपने परिवार के लिए ही नहीं वरन् पूरी विश्व वसुधा के भरण पोषण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। किसान को यदि हम इस संसार का भगवान कहे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज सभी लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े है। चाहे कोई बड़ा उद्योग हो, होटल रेस्टुरेन्ट हो या फिर कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो कृषि और किसान सभी को पोषित करता है। ई-अन्नदाता गौरवान्वित अभियान-2047, के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम देश के किसानों को गौरव की अनुभूति कराने व जन सामान्य में किसानों के प्रति सम्मान का भाव जगाने के लिए तत्पर है। हमारा प्रयास है की किसान स्वंय को दीन अथवा असहाय न समझे उन्हें गौरव की अनुभूति हो कि वे ही सम्पूर्ण मानवता के पोषक व मुख्य सहयोगी है।

किसी व्यक्ति का किसान होना बड़ी बात ही नहीं बल्कि उसकी खुशकिस्मती, सौभाग्य, यश व गौरव की बात है क्योंकि किसान के बिना हमें नि:शुल्क मिलने वाली वे चीजें जो जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जैसे-नींद, शान्ति, सुकून, उम्मीदें और तो और सबसे ज्यादा इंसान की सांसे, क्योंकि भूखे पेट इसमें से कुछ भी नसीब नहीं होता है।

7. उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम)

राष्ट्र को विकसित करने के लिए हर घर में कम से कम एक उद्यम स्थापित करने हेतु उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम) संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर घर में कम से कम एक उद्यम स्थापित कराना है जिसके लिए प्रत्येक घर के शिक्षित बेरोजगारों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत आवश्यक प्रशिक्षण, लोन (ऋण), सब्सिडी तथा उद्यम स्थापित करने के तौर-तरीकों से अवगत कराना है।

8. ई-अन्नदाता मण्डी (फसल संवर्धन) कार्यक्रम

किसान के फसल को ई-अन्नदाता मण्डी के माध्यम से सीधे वृहद स्तर के व्यापारियों को अच्छे मूल्य पर बिकवाने से उनकी आय में प्रत्यक्ष तौर पर वृद्धि होती है इसके लिए किसानों को ई-अन्नदाता मंण्डी में अपनी फसलों को बेचने हेतु प्रेरित करना ही ई-अन्नदाता का उद्देश्य है।

9. ई-अन्नदाता सम्मान मेला

देश के प्रत्येक राज्य में जिला अथवा क्षेत्र स्तर पर ई-अन्नदाता सम्मान मेला का आयोजन करना जिसमें किसानों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आधुनिक खेती की जानकारी, तौर-तरीका प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कार दिलाना आदि कार्य हेतु अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करना ही ई-अन्नदाता सम्मान मेला का उद्देश्य है।

10. बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट सर्विस

अपने क्षेत्र के पात्र किसानों को बैंक से सम्बन्धित सभी जानकारी व बैंको में खाता खोलवाना, लोन दिलवाना, इंश्योरेंस आदि वित्तीय सुविधा दिलाने में मदद करता है।

11. इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एण्ड फार्मर ग्रीवेंस

किसानों के ई-अन्नदाता से सम्बन्धित किसी भी समस्या अथवा सुझाव के लिए इंट्रीग्रेटेड कॉल सेंटर के माध्यम से किसानों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अब किसान को मिलेगा 'एक कॉल पर पूरा समाधान' इसके लिए ई-अन्नदाता सदैव तत्पर रहती है।

12. ई-अन्नदाता कैंटीन

ई-अन्नदाता कैंटीन पूर्ण रूप से किसानों के लिए होती है जो भारत के सभी जिलों में खोलने का लक्ष्य है जहाँ 50% तक सब्सिडी पर जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। ई-अन्नदाता कैंटीन में हमारा मूल्य सृजन मॉडल न केवल हमारी दीर्घकालिक दृष्टि, विश्वास और उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, बल्कि यह हमारी मूल्य प्रणाली से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

ई-अन्नदाता कैंटीन के द्वारा हम सस्ते दाम पर सारा सामान उपलब्ध कराने का कार्य करते है। हमारा उद्देश्य है कि आर्मी कैंटीन के तर्ज पर सभी किसानों को भी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे किसान स्वयं को किसान होने पर गौरव की अनुभूति करेगें। जिससे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना "जय जवान, जय किसान" साकार होगा।

13. मौसम पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान किसी दिए गए स्थान और समय के लिए वातावरण की स्थितियों की भविष्यवाणी करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। लोग सहस्राब्दियों से अनौपचारिक रूप से तथा 19वीं शताब्दी से औपचारिक रूप से मौसम की भविष्यवाणी करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपरोक्त सभी योजना व कार्य पूर्ण क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र के कृषकों के हित में अपने कार्यो एवं दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करना है जिससे की हमारे किसानों के क्षमता, मनोबल एवं उत्साह में विकास तथा जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हो इन सभी मे आमूलचूल रूप से विकास कर पाए।

14. उद्यमिनी (उद्यमी नारी-सशक्त नारी)

उद्यमिनी कामर्शियल कॉरपोरेशन (Entrepreneurial Commercial Corporation) का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में सशक्त करना है। यह कॉरपोरेशन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए काम करता है। यहाँ इस कॉरपोरेशन के प्रमुख पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है।

उद्यमिनी कामर्शियल कॉरपोरेशन का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उनके व्यवसायिक कौशल को विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त करना है। यह कॉरपोरेशन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास में योगदान करना चाहता है।

15. सरकारी नौकरी वाला डॉट कॉम

इसके अन्तर्गत किसान के बच्चों को कम बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता है जिससे किसान के बच्चे कम लागत में ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी करते है, यदि किसी कारणवश छात्रों की नौकरी नहीं लग पाती है तो उनका दिया हुआ पैसा ब्याज सहित पूरा वापस कर दिया जाता है।

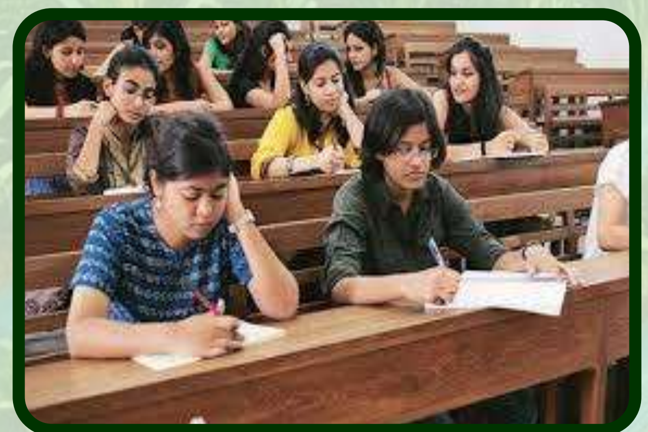

16. घर का अधिकार (राईट-टू-होम)

इसके अन्तर्गत किसानों को सस्ते दाम पर अपना घर दिलाने में मदद करते है।

अपना घर होना सबका अधिकार होता है तथा किसान का भी सपना होता है कि उनका भी घर शहरी क्षेत्र में हो इसी सपना को साकार करने के लिए ई-अन्नदाता द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल किया गया जिससे किसानों का खुद का घर हो और वो अपने पर गौरवान्वित महसूस कर सकें।

स्मार्ट फॉर्मिंग

स्मार्ट फॉर्मिंग एक कृषि प्रबंधन अवधारणा को संदर्भित करती है जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करती है। इस दृष्टिकोण में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा प्रबंधन, मृदा स्कैनिंग, साथ ही अन्य स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के बीच जीपीएस का उपयोग जैसे पहलू शामिल हैं। छोटे और बड़े पैमाने पर वर्षों से स्मार्ट खेती सभी किसानों के लिए उपयोगी हो गई है, इसमें किसानों को प्रौद्योगिकियों और उपकरणों तक पहुंच मिलती है जो खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा को अधिकतम करने में मदद करते हैं। दुनिया को अपने खाद्य उत्पादन को बनाए रखने या बढ़ाने और भोजन को सुरक्षित बनाने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता है। पारंपरिक खेती के तरीकों का पालन किया जाए तो पर्यावरण में तनाव के बिना उत्पादन में कोई वृद्धि संभव नहीं है।

हालांकि, स्मार्ट खेती बेहतर कृषि प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के साथ एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है, जिसका उद्देश्य कम लागत, खेती में बेहतर दक्षता और गुणवत्ता और उच्च उत्पादों का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट खेती के साथ आपको अपने खेतों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से मॉनिटर करने का मौका मिलता है, उर्वरकों और कीटनाशकों का अच्छी तरह से एवं चुनिंदा रूप से उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ यह भी तय किया जा सकता हैं कि आप बेहतर और स्वस्थ आउटपुट के उद्देश्य से खेती की प्रथाओं का उपयोग कैसे करते हैं।कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तकनीकी प्रगति, इंटरनेट में वृद्धि और स्मार्टफोन की शुरूआत ने बेहद योगदान दिया है। विभिन्न देश इन प्रौद्योगिकियों के मूल्य को समझते हैं, और बताते हैं कि क्यों अधिकांश देश सटीक कृषि तकनीकों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। हमारे देश में भी <u>"स्मार्ट फॉर्मिंग की ट्रेनिंग किसानों को बिल्कुल नि:शुल्क कराई जाती है।"</u>

इसमें कोई संदेह नहीं है कि परंपरागत रूप से प्रचलित अधिकांश कृषि कार्यों में आजकल काफी बदलाव आया है। मशीनों, उपकरणों, सेंसर, और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में स्मार्ट खेती तकनीकों और कार्यप्रणालियों को अपनाना आदि को तकनीकी उन्नति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्तमान में किसान एरियल इमेज, नमी और तापमान सेंसर, जीपीएस तकनीक और रोबोट जैसी अत्याधुनिक

तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस तरह की तकनीक खेती को न केवल लाभदायक उपक्रम बनाती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और कुशल भी बनाती है।

ई-अन्नदाता कार्ड एवं लाभ

ई-अन्नदाता कार्ड किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अद्वितीय पहचान कार्ड होगा जिसे बनवाने के लिए किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर ई-अन्नदाता केयर सेंटर पर जाना होता है और ई-अन्नदाता केयर सेंटर किसान के समस्त आवश्यक दस्तावेज को जांच-परख कर ई-अन्नदाता पोर्टल के माध्यम से ई-अन्नदाता कार्ड के लिये पंजीकरण करता है व ई-अन्नदाता कार्ड भारतीय डाक के माध्यम से किसान के दिए गए पते पर उनके घर पर पहुँचता है।

ई-अन्नदाता कार्ड के लिए योग्यता

- किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।
- किसान के उस भूमि का राज्य के भूलेख में उसके भूस्वामी होने का विवरण उपलब्ध हो।
- किसान पूर्ण रूप से कृषि कार्य पर ही आश्रित हो ।

ई-अन्नदाता कार्ड से किसानों को लाभ

- ➢ किसान को उपयोगी सामानों के क्रय पर 50% तक की छूट का लाभ।
- ➢ अच्छी गुणवत्ता का सामान कम कीमत पर मिलना।
- ➢ आधुनिक खेती का प्रशिक्षण पाने तथा कुछ दशाओं में ऋण पाने का लाभ।
- ➢ इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एवं फार्मर ग्रीवेन्स की सुविधा का लाभ।
- ➢ ई-अन्नदाता कैंटीन सुविधा का लाभ।
- ➢ दुर्घटना बीमा का लाभ।
- ➢ नि:शुल्क व ऑनलाइन देश के बड़े व अत्याधुनिक विश्वसनीय व जाने-माने हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों से चिकित्सीय सलाह पाने का लाभ।

स्टेट पार्टनर (रजिस्ट्रार)

"स्टेट पार्टनर ई-अन्नदाता डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और ई-अन्नदाता केयर सेंटर के बीच की कड़ी है। कोई भी संगठन जैसे- एनजीओ, ट्रस्ट, फर्म, कम्पनी, सोसाइटी ई-अन्नदाता के स्टेट पार्टनर के रूप में काम कर सकता है। स्टेट पार्टनर उसी राज्य में कार्य करता है जिस राज्य में वह अपना पंजीयन कराया होता है।"

स्टेट पार्टनर (रजिस्ट्रार) के लाभ

स्टेट पार्टनर के अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के किए गए कार्यों का लाभ स्टेट पार्टनर को मिलता है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के अंतगर्त ई-अन्नदाता केयर सेंटर और ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का लाभ स्टेट पार्टनर को मिलता है तथा ई-अन्नदाता की जो भी सेवाएँ अपने राज्य में कराते है उसका भी **10-20%** लाभ उन्हें प्राप्त होता है।

नोट– और अन्य लाभकारी योजना

स्टेट पार्टनर (रजिस्ट्रार) के कार्य

स्टेट पार्टनर को अपने राज्य के सभी जिलों में अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्राँच तथा ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि का पंजीकरण करना होता है तथा डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर तक का कार्य करवाना होता है। स्टेट पार्टनर डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से किसानों को स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा और किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक करेगा साथ ही ई-अन्नदाता किसान सम्मान मेला व ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता मंडी फसल प्रोत्साहन आदि कार्य किसानों के लिए प्रदान करेगा।

स्टेट पार्टनर (रजिस्ट्रार) के आवश्यक शर्ते

- ➢ **NGO/Trust/Firm/Company/Society** होना अनिवार्य है।
- ➢ **Aadhar Card**
- ➢ कम्पनी पैन कार्ड

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर (रजिस्ट्रार)

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर (रजिस्ट्रार) ई-अन्नदाता के स्टेट पार्टनर व ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच के बीच की कड़ी है। जो ई-अन्नदाता के नियमों के अनुसार काम करता है और किसानों को ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड की सुविधा दिलाने में मदद करता है।

कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, कम्पनी, सोसायटी, फर्म ई-अन्नदाता के डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के रूप में काम कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर चयनित जिले के ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर काम करता है।

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर (रजिस्ट्रार) के कार्य

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर (रजिस्ट्रार) ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर ई-अन्नदाता केयर सेंटर, ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि को पंजीकृत करता है, और ई-अन्नदाता के नियमों के अनुसार उनका सत्यापन भी पूरा करता है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ई-अन्नदाता केयर सेंटर के माध्यम से किसानों को स्मार्ट फार्मिंग (खेती) का प्रशिक्षण देगा, किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक करेगा और ई-अन्नदाता किसान सम्मान मेला और ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता मंडी फसल प्रोत्साहन आदि कार्य कराएगा। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से किसानों को ई-अन्नदाता की सभी सेवाएँ जैसे ई-अन्नदाता कार्ड, ई-अन्नदाता कैंटीन द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएँ, मशीनरी आदि के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएँ आदि उपलब्ध होती हैं।

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर (रजिस्ट्रार) के लाभ

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के अंतर्गत ई-अन्नदाता केयर सेंटर (इनरोलमेंट सेंटर) द्वारा किए गए कार्यों का लाभ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मिलता है, साथ ही ई-अन्नदाता केयर सेंटर और ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का लाभ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मिलता है तथा ई-अन्नदाता के जो भी सेवाएँ अपने जिलों में कराते है उसका भी **10-20%** लाभ उन्हें प्राप्त होता है।

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को 1.5 लाख–1.5 करोड़ तक लाभ पहुँचाना

- 01 ई-अन्नदाता कैंटीन को प्रोत्साहन करना
- 02 ई-अन्नदाता उत्पाद को बेचने के लिए प्रचार करना
- 03 ई-अन्नदाता केयर सेंटर का प्रबंधन करना
- 04 कैंटीन शुरू करने के लिए उत्साहित करना
- 05 चिकित्सा सुविधाओं में (5-15)% लाभ देना
- 06 स्मार्ट फॉर्मिंग (खेती) का प्रशिक्षण प्रदान करना
- 07 संवाददाता सेवा को बढ़ावा देना
- 08 जैविक खेती प्राकृतिक खेती प्रदान करना
- 09 किसानों पर आश्रित बेरोजगारों के लिए उद्यम स्थापना को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, ऋण, सब्सिडी आदि
- 10 बीमा सुविधाएं प्रदान करना

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर (रजिस्ट्रार) के आवश्यक शर्तें

- **NGO/Trust/Firm/Company/Society** होना अनिवार्य है।
- **Aadhar Card**
- कम्पनी पैन कार्ड।

ई-अन्नदाता केयर सेंटर (इनरोलमेंट सेंटर)

यह किसानों की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में ग्राम सभा स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। जिससे कि संबंधित किसान अपने स्थानीय ब्लाक/ग्राम सभा के ई-अन्नदाता केयर सेंटरों पर जाकर अपना पंजीकरण करा कर ई-अन्नदाता कार्ड बनवा सकेंगे तथा सभी सरकारी व गैर सरकारी योजनाएं (कार्यक्रम) जो कृषको के हित में हो उससे अवगत होकर लाभ उठा सकेंगे। जिससे किसानों के जीवन की दशा एवं दिशा में सुधार हो सकेगा तथा वह अपने आप को किसान होने का गौरव महसूस कर सकें। ई-अन्नदाता केयर सेंटर ई-अन्नदाता के ग्राम स्तर पर कार्य करती है। कुछ ई-अन्नदाता केयर सेंटर सीधे पंजीकृत होते हैं और कुछ स्टेट पार्टनर व डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से पंजीकृत कराये जाते हैं।

ई-अन्नदाता केयर सेंटर (इनरोलमेंट सेंटर) के कार्य

ई-अन्नदाता केयर सेंटर का मुख्य कार्य ई-अन्नदाता कार्ड बनाना और ई-अन्नदाता कैंटीन को अपने ब्लॉक में पंजीकृत करवाना है साथ ही पंजीकृत कैंटीन का सत्यापन भी करना होगा। भविष्य में ई-अन्नदाता केयर सेंटरों को पंजीकृत कैंटीनों को सामान उपलब्ध कराना होगा। जिसके माध्यम से किसानों को ई-अन्नदाता की सभी सेवाएँ जैसे ई-अन्नदाता कार्ड, ई-अन्नदाता कैंटीन द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक-दवाएँ, मशीनरी, दैनिक आवश्यकता के सामान आदि के साथ ही चिकित्सा सुविधाएँ आदि उपलब्ध होती हैं।

ई-अन्नदाता केयर सेंटर (इनरोलमेंट सेंटर) के लाभ

ई-अन्नदाता कार्ड बनाने पर प्रति कार्ड 27/- रू० ई-अन्नदाता भुगतान करती है तथा किसानों का कार्ड ई-अन्नदाता मुख्यालय के माध्यम से उनके दिए गये पते पर भारतीय डाक द्वारा भेजा जाता है।

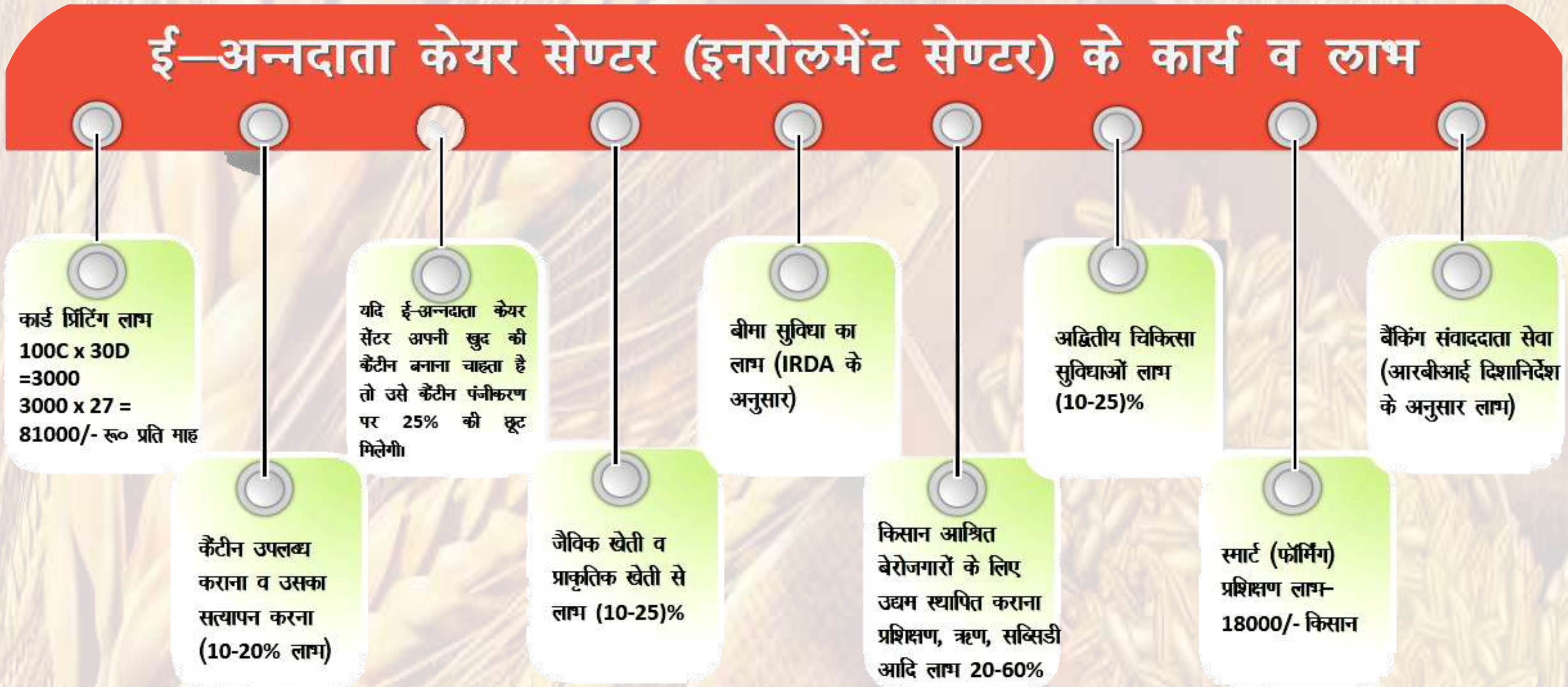

ई-अन्नदाता केयर सेंटर (इनरोलमेंट सेंटर) पंजीयन की आवश्यक शर्तें

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष हो।
- आवेदक उस ग्राम सभा का निवासी हो।
- आवेदक के पास अपना या किराये पर लिया हुआ ऑफिस (10 × 10 वर्ग फुट) हो जिसमें बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आदि चीजें व्यवस्थित हो।
- कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन आदि सभी मशीनरी हो जिससे कि कार्ड बनाने में असुविधा न हो।
- ई-अन्नदाता केयर सेंटर पंजीयन हेतु न्यूनतम लगने वाले सर्विस शुल्क मान्य व अनिवार्य होंगे।
- आवेदक का खुद का कार्यालय होने या किराये पर होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।

नोटः- कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, कम्पनी, सोसायटी, फर्म या कोई भी पात्र व्यक्ति ई-अन्नदाता केयर सेंटर के रूप में कार्य करने हेतु पंजीयन कर सकता है।

पार्टनरों को ई-अन्नदाता से मिलने वाला कुल लाभ (प्रतिशत)

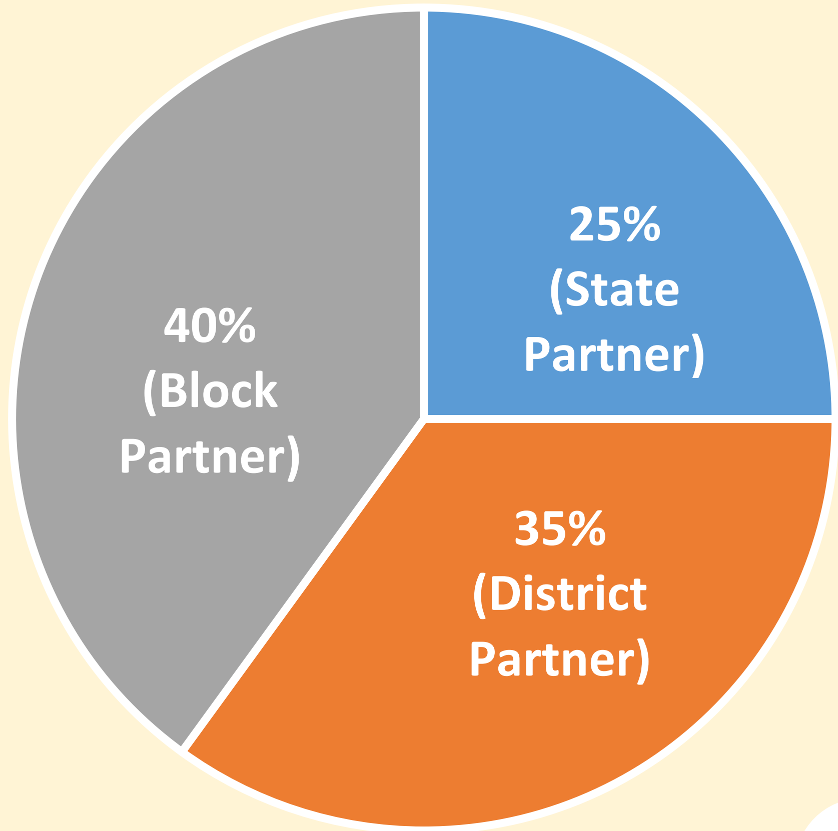

ई-अन्नदाता कार्ड धारक को मिलने वाले छूट का प्रावधान

- 1 वर्ष पुराने ई-अन्नदाता कार्ड धारक को 10% तक छुट
- 2 वर्ष पुराने ई-अन्नदाता कार्ड धारक को 20% तक का छुट
- 3 वर्ष पुराने ई-अन्नदाता कार्ड धारक को 30% तक का छुट
- 4 वर्ष पुराने ई-अन्नदाता कार्ड धारक को 40% तक का छुट
- 5 वर्ष या उससे अधिक पुराने ई-अन्नदाता कार्ड धारक को 50% तक छुट

कैंटीन

ई-अन्नदाता कैंटीन ग्राम स्तर पर होते है जिससे कि किसान अपने नजदीकी ई-अन्नदाता कैंटीन से ही सामानों का क्रय करता है। ई-अन्नदाता कैंटीन पूर्ण रूप से किसानों के लिए कार्यरत है जो भारत के सभी जिलों में खोलने का लक्ष्य है, जहाँ किसान व उनके परिवार को 50% तक सब्सिडी पर जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। ई-अन्नदाता कैंटीन में हमारा मूल्य सृजन मॉडल न केवल हमारी दीर्घकालिक दृष्टि, विश्वास और गुणवत्ता के लिए तैयार किया गया है, बल्कि यह हमारी मूल्य प्रणाली से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

ई-अन्नदाता कैंटीन के द्वारा हम सस्ते दाम पर सारा सामान उपलब्ध कराने का कार्य करते है। हमारा उद्देश्य है कि आर्मी कैंटीन के तर्ज पर सभी किसानों को भी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध हो और किसान को स्वयं के किसान होने पर गौरव की अनुभूति हो सके। जिससे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना "जय जवान, जय किसान" साकार होगा।

कैंटीन के प्रकार

- ई-अन्नदाता कैंटीन
- ई-अन्नदाता बाजार
- ई-अन्नदाता मंडी

ई-अन्नदाता कैंटीन के लाभ

- बिक्री बढ़ेगा।
- विक्रय के लिए अत्यधिक ग्राहक मिलेंगें।
- ब्रांडिंग बढ़ेगा।
- ई-अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट द्वारा आपकी ब्रांडिंग होती है और प्रचार-प्रसार होता है।

ई-अन्नदाता कैंटीन की योग्यता

- व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पंजीकृत दुकान होना चाहिए।
- GST धारक हो।
- दुकान स्वयं का हो अथवा किराए का हो, इसका पूर्ण विवरण प्रमाणित हो।
- बिजली बिल भुगतान का का पुख्ता रिकॉर्ड हो।
- क्रय-विक्रय शक्ति 5 लाख रूपये तक हो, जो न्यूनतम है।
- दुकान का क्षेत्रफल (12 × 12 वर्ग फुट) होना अनिवार्य है।

ई-अन्नदाता बाजार

यह एक बड़ा मॉल होता है जिसमें प्रतिदिन 3000 लोग खरीदारी करते हैं यह जिला स्तर पर एक होता है इसके स्थापना के लिये अधिकतम निवेश शक्ति होना अनिवार्य है।

ई-अन्नदाता कैंटीन में उपलब्ध वस्तुएं

घरेलू उपयोग की वस्तुएं एवं उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसान कार्य संबंधी खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कृषि मशीनरी एवं यंत्र, सौंदर्य प्रसाधन के समान, हार्डवेयर के समान, फर्नीचर के समान, स्टेशनरी के समान इत्यादि और भी बहुत कुछ ई-अन्नदाता कैन्टीन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा।

निष्कर्ष : ई-अन्नदाता टीम भारतीय किसान एवं उनके विकास व कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित तथा संकल्पित है जिससे कि हमारा किसान जीवन के हर क्षेत्र में आमूलचूल रूप से विकास करें।

कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक, कानूनी, संरचनात्मक, उत्पादन और आपूर्ति सेटअप में पर्याप्त परिवर्तन के साथ-साथ बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रक्रिया से गुजर रहा है जैसा कि अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्र में होता है और देश को विकसित बनाने के लिए राष्ट्र के किसान कल्याण व खेती का विकास करना अनिवार्य है क्योंकि देश की अधिकतम आबादी (लगभग 55-60%) कृषि पर ही आश्रित है अर्थात् जब तक किसान व कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास उचित ढ़ंग से हो पाना संभव नहीं है इसलिए कृषि कार्य में लगे हुए अन्नदाता पर पूर्ण रूप से ध्यान देना कृषि का आधुनिकरण व किसान के कल्याण एवं विकास हेतु विशेष रूप से कर्तव्य परायणता के साथ कृत संकल्पित होकर ई-अन्नदाता को पार्टनर्स के साथ मिलकर कार्य करना है जिससे आने वाले समय में (15 अगस्त 2047 तक) देश के सभी किसानों को स्वयं के किसान होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे।